कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

–:: परिपत्र ::–

निदेशालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न संगठनों एवं शिक्षक संघों द्वारा अपनी मांगो के संबंध में किये जाने वाले आन्दोलन एवं धरना/प्रदर्शन इत्यादि कार्यक्रमों के दौरान कार्यालयों में अशोभनीय घटनाओं पर अंकुश लगाने व लोकतांत्रिक व्यवस्था संबंधी आचार संहिता विषयक निर्देश एतद् द्वारा जारी किए जाते हैं :–

1. संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन/मांग पत्र प्रस्तुति एवं आंदोलन के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों एवं पारस्परिक गरिमा की पालना की सुनिश्चितता की जाये।
2. निदेशालय में विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में माईक/ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा
3. निदेशालय परिसर के अन्दर कोई भी संगठन धरना–प्रदर्शन नहीं करेंगे।
4. प्रदर्शन के दौरान कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी/अमर्यादित व्यवहार नहीं करेंगे।
5. प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार से रास्ता बाधित नहीं करेंगे, किसी कार्मिक/अधिकारी को नहीं रोका जायेगा। निदेशालय में नियुक्त सुरक्षा प्रहरी के साथ भी मर्यादित व्यवहार किया जायेगा।
6. निदेशालय में किसी भी अधिकारी से वार्ता के दौरान अधिकतम 05 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति निदेशालय भवन में नहीं आयेंगे।
7. प्रदर्शन के दौरान निदेशालय परिसर में भवन/पेड़–पौधों को किसी भी प्रकार का नुक्सान नहीं पहुंचायेंगे।
8. विभाग में शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षक/कर्मचारी संगठनों से इतर अन्य संगठनों द्वारा 05 से अधिक सभी पदाधिकारियों को संगठन में पदनाम के अलावा मूल पदनाम, मोबाईल नम्बर एवं आईडी प्रस्तुत कर रजिस्टर में इन्द्राज करना आवश्यक होगा।
9. कार्यदिवस में ज्ञापन देने वाले, धरना–प्रदर्शन में शामिल होने वाले पदाधिकारियों को सक्षम अधिकारी से नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करवाना अनिवार्य होगा।
10. निदेशालय के बाहर धरने में शामिल शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों/सदस्यों को लोकतांत्रिक मूल्यों की पूर्ण पालना करनी होगी।
11. निदेशालय परिसर में कोई भी संगठन विधि विरूद्ध जमावड़ा नहीं करेंगे, ना ही राजकार्य में अवरोध/बाधा उत्पन्न करेंगे।
12. विभाग के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में भी धरना–प्रदर्शन के दौरान समस्त शिक्षक/कर्मचारी संगठनों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना की जायेगी।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक प्रारंभिक एवं
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

क्रमांक : शिविरा/माध्य/सतर्कता/धरना–प्रदर्शन/फा–53/2021 दिनांक : 14/06/2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर।
8. समस्त अध्यक्ष/महामंत्री– संबंधित कर्मचारी संगठन/शिक्षक संगठन एवं अन्य समस्त संबंधित समूह/संगठन।
9. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. स्टॉफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
12. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक (सतर्कता)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर